<u>राजस्थन कर बोर्ड, अजमेर</u>

<u>संशोधन प्रार्थना पत्र संख्या 54/2013/कोटा</u>

सहायक आयुक्त
वृत–अ, कोटा — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स राठी ट्रेडर्स
भामाशाहमण्डी,कोटा — प्रत्यर्थी

एकलपीठ

<u>श्री सुनील शर्मा,सदस्य</u>

उपस्थित

श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक — अपलार्थी की ओर से

श्री एम.एल.पाटोदी
अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 27.05.2015

<u>निर्णय</u>

यह संशोधन प्रार्थना पत्र सहायक आयुक्त,वृत–अ, कोटा(जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 1689/2007/कोटा वाणिज्यिक कर अधिकारी,वृत–अ,कोटा बनाम मैसर्स राठी ट्रेडर्स,भामाशाहमण्डी,कोटा में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2013 में संशोधन हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 33 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत एस टी 17 घोषणा पत्रों की सूची में मैसर्स अरवन्दि ट्रेडर्स, कोटा द्वारा जारी एस टी–17 घोषणा पत्र संख्या 23454/2 रू. 14,17,376/–का भी प्रस्तुत किया गया था। कर निर्धारण अधिकारी ने जांच पर पाया कि उच्चाधिकारियों द्वारा उक्त व्यवसायी के एस टी–17 घोषणा पत्र की सीरीज के घोषणा पत्र निरस्त कर दिये गये थे लेकिन प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र उसी सीरीज का होने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 14.02.2005 पारित कर उक्त घोषणा पत्र को अस्वीकार कर कर रू. 56,395/– एवं ब्याज रू. 22,678/–आरोपित कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, जिस पर उन्होंने विचार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये कि मैसर्स अरविन्द ट्रेडर्स, नई धानमण्डी, कोटा द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के नाम जारी किये गये एसटी–17 घोषणा पत्र के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में यदि उनके द्वारा राजस्थान विक्रय कर नियम,1995 के नियम 23 (16) एवं (20) में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निष्पादन किया गया है, तो प्रत्यर्थी व्यवहारी पर नियमानुसार कर एवं ब्याज आरोपित किया जावे अन्यथा इन्हें स्वीकार किया जाकर आरोपित अतिरिक्त कर व ब्याज समाप्त किया जावे। राजस्व की ओर से अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2007 से असन्तुष्ट होकर अपील प्रस्तुत

किये जाने पर अपील अस्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन को यथावत रखा गया है।

अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा एस टी–17 फार्म नम्बर 23454/2 रू. 14,17,376/–मैसर्स अरविन्द ट्रेडर्स,कोटा के प्रस्तुत किये गये,जो बोगस है और यह उस सीरीज का है जिसको विभाग द्वारा निरस्त कर दिया गया था। उन्होंनें कर बोर्ड की माननीय एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 1742/2000/कोटा दिनांक 30.01.2009 एवं अपीनल संख्या 1955/2007/कोटा दिनांक 20.01.2011 में पारित निर्णयों को उद्धरित किया। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने उक्त प्रोद्धरित निर्णयों में दिये गये निष्कर्षो के आधार पर संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि क्रेता व्यवसायी वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीकृत है और उसने वाणिज्यिक कर विभाग से वैध एस टी 17 घोषणा पत्र नियमानुसार प्राप्त किये हैं और उक्त माल की खरीद के समर्थन में प्रत्यर्थी व्यवहारी को जारी किये हैं तथा इन घोषणा पत्रों को काम में लिये जाने की तिथि तक विभाग द्वारा इन्हें राजस्थान विक्रय कर नियम,1995 के नियम 23 व उप नियम 20 में वर्णित मापदण्डों के अनुसार अवैध घोषित नहीं किया गया है इसलिए आरोपित कर एवं ब्याज विधिक नहीं है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने अपील के गुणावगुण पर विचार करने के पश्चात प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है,जिसमें किसी भी प्रकार की अविधिकता नही है क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी निमयों के अन्तर्गत कर पुनः आदेश पारित करने के लिए सक्षम है। उनका यह भी कथन है कि विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस में यह कहीं भी नहीं बताया गया है कि कर बोर्ड के निर्णय में कौन सी भूल रिकार्ड से परिलक्षित होती है। उनका कथन है कि अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत उन्हीं भूलों का सुधार किया जा सकता है,जो रिकार्ड से परिलक्षित होती हों। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में इसी पीठ द्वारा संशोधन प्रार्थना पत्र संख्या 57/2013/बॉरा में पारित निर्णय दिनांक 16.01.2014 को उद्धरित करते बताया कि माननीय एकलपीठ द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मक्कड प्लास्टिक एजेन्सी (टैक्स अप डेट 29 पेज 253) को उद्धरित कर निष्कर्ष दिया है कि "चैतन्य मस्तिष्क से पारित किये गये आदेश को इस स्तर पर विधिक रूप से संशोधित नहीं किया जा सकता है।" उन्होंने उक्त कथन के आधार पर विभाग की ओर से प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णयों को उद्धरित करते हुए संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का कथन किया गया है किन्तु

यह नहीं बताया गया कि कौन सी भूल रिकार्ड से परिलक्षित होती है। कर बोर्ड द्वारा अपील संख्या 1689/2007/कोटा में दिनांक 15.04.2013 पारित करते समय निम्न निष्कर्ष दिया है :–

"मैसर्स अरविन्द ट्रेडर्स, नई धानमण्डी, कोटा द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के नाम जारी किये गये एसटी–17 घोषणा पत्र के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में यदि उनके द्वारा राजस्थान विक्रय कर नियम,1995 के नियम 23 (16) एवं (20) में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निष्पादन किया गया है, तो प्रत्यर्थी व्यवहारी पर नियमानुसार कर एवं ब्याज आरोपित किया जावे अन्यथा इन्हें स्वीकार किया जाकर आरोपित अतिरिक्त कर व ब्याज समाप्त किया जावे।"

"उक्त निर्देशों से कर निर्धारण अधिकारी को प्राप्त किसी अधिकार का हनन नहीं हुआ बल्कि उनको जांच के बाद पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने एसटी–17 घोषणा पत्र के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में यदि उनके द्वारा राजस्थान विक्रय कर नियम,1995 के नियम 23 (16) एवं (20) में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है,जिसमें किसी प्रकार की अविधिकता नजर नही आती है । कर निर्धारण अधिकारी को चाहिए था कि वह उक्त निर्देशों की पालना में पुनः आदेश पारित करते । प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार करने के पश्चात यह पीठ अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित आदेश दिनांक 28.02.2007 उचित मानती है।"

कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील का निर्णय दिनांक 15.04.2013 में उपरोक्त निष्कर्ष दिया गया है,जिससे स्पष्ट है कि कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा चैतन्य मस्तिष्क से निर्णय पारित किया गया है, जो प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उद्धरित माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मक्कड प्लास्टिक एजेन्सी (टैक्स अप डेट 29 पेज 253) से आच्छादित है।

अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत उन्हीं भूलों का संशोधन किया जाना अपेक्षित है, जो रिकार्ड से भूल परिलक्षित होती हो। बहस के दौरान ऐसी किसी भूल की ओर से इंगित नहीं किया गया है,जो रिकार्ड से परिलक्षित होती है। इसलिए विभाग की ओर से प्रस्तुत किया गया संशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य